एन.सी.सं. 2023:डीएचसी:2377-डीबी

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 05 अप्रैल, 2023

+ रि.या.(सि.) 4139/2023 और सि.वि.आ. 16008- 16009/2023

कुंवर मोहम्मद अली खान ....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री पी. सुरेशन, अधिवक्ता।

बनाम

डीजी सीआईएसएफ और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री संजय कुमार, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता सह श्री अभिज्ञान सिद्धांत, जीपी, एसआई/एक्स अमित कुमार, एसआई/एक्स श्री प्रहलाद देवागन और सीटी/जीडी मोहित कुमार, सीआईएसएफ|

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

<u>निर्णय</u> (मौखिक)

1. वर्तमान याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता निम्नानुसार प्रार्थना करता हैः

"(क) परमादेश जारी किया जाये जिसमें प्रत्यर्थी, डीजी सीआईएसएफ, नई दिल्ली को याचिकाकर्ता को सीआईएसएफ इकाई एचटीपीपी काशीमपुर में रोकने का निर्देश दिया जाये क्योंकि वर्तमान स्थानांतरण सह पदोन्नति आदेश दिनांक 9/10.11.2015 के परिपत्र और दिनांक 25.9.2017 के परिपत्र के उल्लंघन में है क्योंकि वह अब अपनी तैनाती के चौथे कार्यकाल में है।

(ख) याचिकाकर्ता का सेवा आदेश भाग-33/2023 दिनांक 12.03.2023 और एपीएस मुख्यालय सेवा आदेश भाग-1 संख्या 03/2023 दिनांक 22.03.2023 एवं संचलन आदेश दिनांक 27.03.2023 जिसमें याचिकाकर्ता को सीआईएसएफ इकाई एचटीपीपी कासिमपुर, अलीगढ़ में रहने की उसकी पात्रता को नजरअंदाज करने के बाद एचटीपीपी कासिमपुर, अलीगढ़ की वर्तमान इकाई से एएसजी बैंगलोर में स्थानांतरित कर दिया गया है को रद्द एवं ख़ारिज किया जाये |

(ग) हवाई अड्डा क्षेत्र इकाइयों में सीआईएसएफ कर्मियों की नियुक्ति करते समय प्रत्यर्थी को उनके नीतिगत दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दें।

(घ) प्रत्यर्थी को इस मुकदमेबाजी के खर्च का भुगतान याचिकाकर्ता को करने का निर्देश दें।"

2. प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान् अधिवक्ता जो अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हो रहे हैं, ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि 12.03.2023 दिनांकित

स्थानांतरण आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 14.03.2023 दिनांकित एक अभ्यावेदन दिया जो प्रत्यर्थीगण के समक्ष विचार के लिए लंबित है|

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थीगण को आज से चार सप्ताह के भीतर सीआईएसएफ (गृह मंत्रालय) के महानिदेशक द्वारा जारी की गई 9/10.11.2015 की नीति पर विचार करते हुए याची द्वारा दाखिल 14.03.2023 दिनांकित उपरोक्त अभ्यावेदन का फैसला करने और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर तर्कसंगत आदेश के साथ याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश देते हैं| जब तक प्रत्यर्थीगण द्वारा 14.03.2023 दिनांकित अभ्यावेदन का निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक याचिकाकर्ता के पदभार ग्रहण करने की अवधि बढ़ाई जाती है|

4. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।

5. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता अपने अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी के निर्णय से व्यथित महसूस करता है, तो वह उचित फोरम में जा सकता है।

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायमूर्ति

(मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा)
न्यायमूर्ति

अप्रैल 05,2023/*आरके*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*